स्टॉकहोम कन्वेंशन

संदर्भ-

स्टॉकहोम कन्वेंशन में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्युटेंट्स (पीओपी) रिव्यू कमेटी (पीओपीआरसी-18) की 18वीं बैठक 26 से 30 सितंबर 2022 के बीच संपन्न हुई।

प्रमुख बिंदु-

• दो रसायनों - डीक्लोरेन प्लस, एक मंद ज्वाला और यूवी-328, कुछ पर्सनल केयर उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले एक स्टेबलाइजर जो पीओपीआरसी 17 में जोखिम प्रबंधन मूल्यांकन के लिए योग्य थे, का सत्र में मूल्यांकन किया गया।

• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्लोरपाइरीफोस को पीओपी के रूप में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव का भारत ने विरोध किया था। फिर भी, क्लोरपाइरीफोस को POP के रूप में नामांकित किया गया।

क्लोरपाइरीफोस के बारे में-

• चीन और भारत क्लोरपाइरीफोस के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। भारत में लगभग 48% क्लोरपाइरीफोस का उत्पादन होता है।

• चने, चावल और कपास को प्रभावित करने वाले कीटों के खिलाफ कीटनाशक के रूप में उपयोग के लिए क्लोरोपाइरीफोस को 2021 में अनुमोदित किया गया था।

• यह अगस्त 2022 में पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा प्रतिबंधित दस कीटनाशकों में से एक है।

सम्मेलन के बारे में

• एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि जिसका उद्देश्य स्थायी जैविक प्रदूषकों (पीओपी) के उत्पादन और उपयोग को खत्म करना या प्रतिबंधित करना है। इसने दिसंबर 2020 तक 31 रसायनों को सूचीबद्ध किया है।

• इस पर 2001 में हस्ताक्षर किए गए और 2004 में प्रभावी हुए। सितंबर 2022 तक, कन्वेंशन (185 राज्य और यूरोपीय संघ) के 186 पक्ष हैं।

• उल्लेखनीय गैर-अनुमोदित राज्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल और मलेशिया शामिल हैं।

• कन्वेंशन के तहत रसायनों को तीन अनुबंधों के तहत सूचीबद्ध किया गया है -

वर्ग	दलों द्वारा कार्रवाई	प्रमुख रसायन
संलग्नक A	उन्मूलन	एल्ड्रिन, एंड्रिन, डाइकोफोल, एंडोसल्फान आदि।
संलग्नक B	प्रतिबंध	डीडीटी, पीएफओएस
संलग्नक C	अनजाने में होने वाले उत्पादन को कम करना	पीसीडीडी, पीसीडीएफ, एचसीबी

• पीओपीआरसी में दुनिया के पांच क्षेत्रों से चुने गए 31 सरकारी-नामित विशेषज्ञ होते हैं और चार साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

प्रतिष्ठित भारतीय वस्त्र (Iconic Indian Textiles)

संदर्भ

यूनेस्को ने देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची जारी की है।

मुख्य बिंदु-

• यूनेस्को के अनुसार, दक्षिण एशिया में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक उचित सूची और दस्तावेज़ीकरण का अभाव है।

• प्रकाशन का उद्देश्य इस अंतर को कम करना है।

• पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की रक्षा करना, वस्त्रों के पीछे के इतिहास और किंवदंतियों को सूचीबद्ध करता है, उनके निर्माण के पीछे की जटिल और गुप्त प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, उनकी घटती लोकप्रियता के कारणों का उल्लेख करता है, और उनके संरक्षण के लिए रणनीति प्रदान करता है।

सूची में प्रमुख शिल्प

टोडा कढ़ाई (नीलगिरी), सुंगडी (मदुरै) और सिकलनायकनपेट कलमकारी (तंजावुर)	तमिलनाडु
हिमरू	तेलंगाना और महाराष्ट्र
इकत या बंध टाई और डाई	उड़ीसा
इलकल और लम्बाडी या बंजारा कढ़ाई	कर्नाटक
गरद-कोइरियाल	पश्चिम बंगाल
कुनबी बुनाई	गोवा
मशरू बुनाई और पटोला	गुजरात
खेस (पानीपत)	हरयाणा
थिग्मा या ऊन की टाई और डाई	लद्दाख
अवध जामदानी (वाराणसी)	यूपी

24X7 जल आपूर्ति प्रणाली

प्रसंग-

केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (जीआईजेड) और ओडिशा सरकार के तकनीकी सहयोग से 24x7 जल आपूर्ति प्रणाली पर पुरी (ओडिशा) में अपनी तरह की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

24X7 जल आपूर्ति के बारे में-

• अमृत 2.0 (2021 में लॉन्च) के परिणामों के तहत सभी 500 अमृत शहरों में कम से कम, एक वार्ड या एक डीएमए में नल सुविधाओं से 24x7 पानी की आपूर्ति प्रदान करना।

• रुक-रुक कर पानी की आपूर्ति से लगातार 24X7 जल आपूर्ति प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए, राज्यों और शहरों को हैंडहोल्डिंग समर्थन देने के लिए, मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) और राज्य स्तरीय टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया है।

ओडिशा के "ड्रिंक फ्रॉम टैप" मिशन की मुख्य विशेषताएं-

• अक्टूबर 2020 में ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया।

• पाइप से पीने और खाना पकाने की गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति करने के लिए भारत में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम, जिसका नागरिकों द्वारा 24X7 आधार पर सीधे उपयोग किया जा सकता है।

• सामुदायिक भागीदारी (स्वयं सहायता समूह) "जलसाथी" के माध्यम से जल आपूर्ति प्रबंधन।

• शत-प्रतिशत परिवारों का कवरेज

• गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) को खत्म करने के लिए हाउस कनेक्शन की 100% मीटरिंग।

• तीसरे पक्ष की निगरानी और पीपीपी प्रयोगशालाओं के जरिए गुणवत्ता आश्वासन।

पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना (SFURTI)

प्रसंग-

केवीआईसी द्वारा पहली बार नई दिल्ली में स्फूर्ति समूहों के पारंपरिक उत्पादों की एक राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी (मेला) आयोजित की जा रही है।

मुख्य बिंदु-

मेले के दौरान, 28 राज्यों को कवर करने वाले 50 SFURTI समूहों के 100 कारीगर अपने पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे, जिनमें शामिल हैं-

सोजनी कढ़ाई क्लस्टर	जम्मू और कश्मीर	
चन्नापटना टॉय क्लस्टर	कर्नाटक	
कालीन और ड्यूरी क्लस्टर	उत्तर प्रदेश	
एरी सिल्क खादी क्लस्टर	अरुणाचल प्रदेश	

योजना के बारे में-

• SFURTI पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए एक निधि योजना है।

• पारंपरिक उद्योगों के क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने और पारंपरिक कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने 2005 में इस योजना की शुरुआत की थी।

• खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय, इसके प्रचार के लिए नोडल एजेंसी है।

• अब तक, देश भर में SFURTI के तहत 498 समूहों का समर्थन किया गया है, जिससे लगभग 3 लाख कारीगरों को सीधे लाभ हुआ है।

कुक आइलैंड्स और नियू

संदर्भ-

अमेरिकी प्रशासन ने प्रशांत क्षेत्र के नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन के दौरान घोषणा की कि वह अपनी नई प्रशांत योजना के हिस्से के रूप में कुक आइलैंड्स और नियू को संप्रभु राज्यों के रूप में मान्यता देगा, जो इस क्षेत्र में $1.4 बिलियन का उछाल लाएगा।

राजनीतिक स्थिति-

• कुक आइलैंड्स और नीयू राज्य न्यूज़ीलैंड के दायरे में स्वतंत्र रूप से जुड़े हुए हैं।

• ये स्वशासी क्षेत्र हैं, जिन्हें संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जिनकी विदेश और रक्षा नीतियां और मुद्रा न्यूजीलैंड से जुड़ी हुई हैं।

• कुछ देशों ने उन्हें संप्रभु संस्थाओं के रूप में मान्यता दी है और राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं।

• वे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और डब्ल्यूएचओ और यूनेस्को जैसी संयुक्त राष्ट्र की कुछ विशेष एजेंसियों के पूर्ण सदस्य हैं।

कुक आइलैंड्स के बारे में-

• दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित 15 प्रमुख द्वीप शामिल हैं। द्वीप ज्वालामुखीय गतिविधि से बनते हैं।

नियू के बारे में-

• दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा, समोआ और कुक आइलैंड्स के बीच एक त्रिभुज में स्थित है। आमतौर पर "द रॉक" के रूप में जाना जाता है, जो पारंपरिक नाम "रॉक ऑफ पोलिनेशिया" से आया है। दुनिया के सबसे बड़े प्रवाल द्वीपों में से एक है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

अरावली

संदर्भ-

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से राज्य, सबसे बड़ा क्यूरेटेड जंगल सफारी पार्क विकसित करेगा।

मुख्य विचार-

• अरावली पर्वत श्रृंखला में प्रस्तावित पार्क गुड़गांव और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि में फैला होगा।

• इसमें एक बड़ा हर्बेरियम, एक एवियरी/बर्ड पार्क, बड़ी बिल्लियों के लिए चार जोन, विदेशी जानवरों और पक्षियों के लिए एक क्षेत्र, एक पानी के नीचे की दुनिया आदि शामिल होंगे।

• वर्तमान में, अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में है और लगभग 2,000 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है।

अरावली रेंज के बारे में-

• भारत की सबसे पुरानी मोल्डेड पर्वत श्रृंखला, जो दक्षिण-पश्चिम दिशा में दिल्ली से दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान होते हुए लगभग 690 किमी तक फैली हुई है जो गुजरात के मैदानी इलाकों में समाप्त होती है।

• इसकी उत्पत्ति प्रोटेरोज़ोइक युग में हुई है जो दुनिया की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक विशेषताओं में से एक मानी जाती है।

• प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर (खनिजों सहित) और पश्चिमी से रेगिस्तान के विकास को रोकने का काम करता है।

ट्राई और टीडीसैट

प्रसंग-

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें ब्रॉडकास्टरों को अपने ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म पर सामग्री से संबंधित जानकारी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

ट्राई के बारे में-

• 1997 में अधिनियमित भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम (ट्राई) ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना की।

• इसमें एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होते हैं, जो सभी भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

• अध्यक्ष और अन्य सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक अपने पद पर बने रहेंगे।

टीडीसैट के बारे में-

• टीडीसैट की स्थापना के लिए अधिनियम को वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था।

• इसका कार्य दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विवादों का न्यायनिर्णयन और अपीलों का निपटान करना है।

• ट्रिब्यूनल में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं।

• अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।

• ट्रिब्यूनल ट्राई अधिनियम, 1997 (संशोधित), आईटी अधिनियम, 2008 और भारतीय हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत दूरसंचार, प्रसारण, आईटी और हवाईअड्डा शुल्क मामलों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।

• ट्रिब्यूनल दूरसंचार, प्रसारण और हवाई अड्डे के टैरिफ मामलों के संबंध में मूल और साथ ही अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।

• साइबर मामलों के संबंध में न्यायाधिकरण केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।

कमोडिटी डेरिवेटिव्स में विदेशी निवेश

संदर्भ-

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी निवेशकों को शर्तों के अधीन, एफपीआई मार्ग के माध्यम से भारतीय एक्सचेंज-ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में भाग लेने की अनुमति दी।

मुख्य हाइलाइट्स-

• विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) FDI के विपरीत किसी अन्य देश में जारी प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में किए गए निवेश को संदर्भित करता है।

• विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को प्रतिभूतियों से निपटने के लिए सेबी की ओर से नामित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है।

• सेबी के नियम एफपीआई को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं -

श्रेणी I - केंद्रीय बैंक, सॉवरेन वेल्थ फंड, अंतर्राष्ट्रीय या बहुपक्षीय संगठन, पेंशन फंड, विश्वविद्यालय फंड, एफएटीएफ सदस्य देश (शर्तों के अधीन) और विनियोजित विनियमित संस्थाएं जैसे निवेश प्रबंधक, बीमा संस्थाएं आदि।

श्रेणी II - बंदोबस्ती और नींव, धर्मार्थ संगठन, कॉर्पोरेट निकाय, परिवार कार्यालय, व्यक्ति आदि।

• डेरिवेटिव पार्टियों के बीच वित्तीय अनुबंध होते हैं जिन्हें एक निश्चित सहमत मूल्य पर बाद की तारीख में अंतर्निहित परिसंपत्ति को लेन-देन करने (खरीदने/बेचने) का अधिकार मिलता है।

एनडीएमएफ और एसडीएमएफ

प्रसंग- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा को राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) के केंद्रीय हिस्से के रूप में 488 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

निधि का गठन-

- कानूनी प्रावधान:
  - धारा 47(1) के तहत, केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) नामक एक कोष का गठन कर सकती है।
  - धारा 48(1) के तहत राज्य सरकार राज्य प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष एवं जिला आपदा न्यूनीकरण कोष की स्थापना करेगी।
- सांविधिक प्रावधानों के बावजूद, फरवरी 21 तक कोई शमन कोष, एनडीएमएफ/एसडीएमएफ नहीं बनाया गया था।
- 15वें वित्त आयोग (XVFC) की सिफारिश और डीएम अधिनियम के प्रावधान के अनुसरण में, 5 फरवरी 2021 को MHA द्वारा NDMF का गठन किया गया था।
- XV FC की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के लिए SDMF के लिए 32031 करोड़ रुपये और NDMF के लिए 13,693 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

मुख्य बिन्दु-

न्यूनीकरण कोष को आम तौर पर समुदाय आधारित स्थानीय पहलों के लिए छोटे अनुदान प्रदान करना चाहिए ताकि खतरों को कम करने के लिए कठोर उपायों के बजाय नरम उपायों के माध्यम से किया जा सके।

- राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए और राज्य स्तर पर एसडीएमए द्वारा शमन निधि की निगरानी की जाएगी।
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए एसडीएमएफ में अंशदान 90:10 के अनुपात में होगा; अन्य राज्यों के लिए 75:25।
- राज्य सरकारें एसडीएमएफ और एनडीएमएफ के केंद्रीय हिस्से की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर एसडीएमएफ में अपना योगदान हस्तांतरित करती हैं। देरी के मामले में, राज्य सरकार को आरबीआई की बैंक दर पर ब्याज के साथ राशि का योगदान करना आवश्यक है।
- एनडीएमएफ/एसडीएमएफ के समग्र संचालन और निगरानी के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।
- गृह मंत्रालय, व्यय विभाग (डीओई) की सहमति से आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देशों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है।
- एनडीएमएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता ग्रेडेड कॉस्ट-शेयरिंग के आधार पर दी जाएगी, जैसा कि XV FC द्वारा अनुशंसित किया गया है।

भारत स्किल्स फोरम

प्रसंग-

प्रशिक्षण महानिदेशालय ने हाल ही में भारत कौशल मंच का शुभारंभ किया। (डीजीटी)

प्रमुख बिंदु-

- यह सुविधा स्किल समुदाय के लिए एक डिजिटल गोदाम के रूप में कार्य करेगी।
- यह हस्तलिखित प्रशिक्षकों या प्रशिक्षुओं के नोट्स, पीडीएफ, स्कैन की गई प्रतियां, या किसी भी भाषा में रिकॉर्ड किए गए वीडियो जैसे विभिन्न रूपों में सामग्री साझा करने की अनुमति देगा।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय (डीजीटी) में प्रशिक्षण महानिदेशालय (एमएसडीई) स्तर पर विकास और समन्वय के लिए शीर्ष संगठन है।
- अक्टूबर में 2019DGT ने Bharatskills नाम से एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
- यह आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र के प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के लिए एक केंद्रीय डिजिटल भंडार है जो कक्षाओं के बाहर कभी भी, कहीं भी सीखने में सक्षम बनाता है।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022

संदर्भ-

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया।

मुख्य विचार-

- भारत की रैंकिंग 46 (2021) से सुधरकर 40 (2022) हो गई।
- भारत और तुर्की (37वें) पहली बार शीर्ष 40 में शामिल हुए।
- स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड दुनिया की सबसे नवीन अर्थव्यवस्थाएं हैं।

WIPO के बारे में-

- WIPO कन्वेंशन द्वारा 1967 में स्थापित, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह UN ECOSOC की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है।
- इसके 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त देशों में केवल गैर-सदस्य, माइक्रोनेशिया, पलाऊ और दक्षिण सूडान के संघीय राज्य हैं।

MCQ Current Affairs Daily Pre Pare

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com